

रूपकरी महोदय
अधिकारी बंगलूर

30/18 पत्रगती राजस्थ लोक अदालत
केस नं. 252 दि. 22/5/18
को पेश हो
300

22/5/18 पत्राकती - भाग आपके डार ~~केस~~ 2018 केस
आभिमन

काकाएटा ने पेश हुई। वादी खुबीखल उपाध्याय।
वकील उपाध्याय देव शर्मा पत्र पेश का रिपेण
किन्ना कि वे वाद/शर्मा पत्र को अगे चकाना
नही चाहते हैं, शर्मा पत्र पर कार्यवाही इली
रु की निमित्त रहर पर खत्म कर दी जावे। वादी ने पहचान के
उप में आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति पेश की
जो शामिल पत्राकती की गई।

शर्मा के शर्मा पत्र अनुसार शर्मा शर्मा पत्र/वाद
की कार्यवाही अगे चकाना नही चाहता है। अतः
शर्मा पत्र की मोलेडिंग इली रहर पर शेष
की जाती है।

पत्राकती के लिए शुभार होकर नम्बर लेकम की
जावे।
300